**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2911**

**12.12.2016 को उत्तर के लिए**

**iykfLvd vifप्‍लास्टिक अपशिष्‍ट का निपटान**

**2911 डॉ. कनवर दीप सिंह :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या देश में उत्‍पन्‍न सभी प्‍लास्टिक अपशिष्‍ट का प्रक्रिया के अनुसार निपटान नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अपशिष्‍ट को एकत्र करने, उसे संग्रहित व पुनर्चक्रित करने की हमारी क्‍या क्षमता है; और

(ग) इस उद्देश्‍य के लिए अपेक्षित क्षमता का विकास करने हेतु क्‍या कार्य योजना है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) और (ख) एक अध्‍ययन के आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनुमान लगाया है कि देश में प्रतिदिन लगभग 25,940 टन प्‍लास्टिक अपशिष्‍ट उत्‍पन्‍न होता है। प्रतिदिन एकत्र किए गए कुल प्‍लास्टिक अपशिष्‍ट के 15,564 टन होने का अनुमान है और 10,376 टन प्‍लास्टिक अपशिष्‍ट प्रतिदिन बिना एकत्र किया रह जाता है। प्‍लास्टिक अपशिष्‍ट के पुनच्रर्कण संबंधी क्षमता के आंकड़े उपलब्‍ध नहीं है।

(ग) प्‍लास्टिक अपशिष्‍ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार स्‍थानीय निकाय प्‍लास्टिक अप‍शिष्‍ट के प्रबंधन हेतु अवसंरचना की स्‍थापना के लिए जिम्‍मेदार है। इन नियमों में राज्‍य शहरी विकास विभागों, स्‍थानीय निकायों को शामिल करते हुए प्‍लास्टिक अपशिष्‍ट उत्‍पादन को न्‍यूनतम करने, उत्‍पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों द्वारा उनके उत्‍पादों से उत्‍पन्‍न अपशिष्‍ट के एकत्रण हेतु उत्‍पादक के विस्‍तारित उत्‍तरदायित्‍व को अपनाने और सड़क निर्माण, ऊर्जा पुनर्प्राप्ति इत्‍यादि में प्‍लास्टिक अपशिष्‍ट के पुनर्चक्रण/उपयोगिता के लिए अर्थोपाय का प्रावधान किया गया है।

\*\*\*\*\*